न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री औंकारमल (आर.टी.एस.)

मुकदमा नम्बरः— 06/2009

1. मनोजकुमार पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी तन सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
2. रामकुमार पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी तन सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
3. हरिसिंह पुत्र झूंथाराम जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी तन सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
4. भोलाराम पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी तन सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
5. विद्याधर पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी खेदड़ों की ढाणी तन सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
6. ग्राम पंचायत पंचायत समिति उदयपुरवाटी जरिये सरपंच रामप्यारी

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
2. रघुवीर पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
3. महेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
4. दलीप पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
5. सहीराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
6. श्योकरण पुत्र पितराम जाति जाट निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
7. मूलचन्द पुत्र पितराम जाति जाट निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 रा0 का0 अधिनियम

निर्णय दिनांक 15-11-17

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 3.5.2008 को न्यायालय ग्राम पंचायत सीथल में प्रस्तुत किया गया था। जिसका निर्णय ग्राम पंचायत सीथल प्रकरण धारा 251 के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 6 जुन 2008 को किया गया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता जानबूझकर रोका गया है। इस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी रामेश्वर ने न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू के यहां अपील संख्या 105/2008 पेश की, जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2009 को किया गया। भ **पत्रावली का अवलोकन किया गया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है। अपील तहसीलदार उदयपुरवाटी को रिमान्ड की जाती है तथा अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 6.6.2008 खारिज किया जाता है। तहसीलदार प्रकरण में सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः विधिनुकूल निर्णय पारित करें। श्श**

माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 6.6.2008 की पालना में प्रकरण दिनांक 30.11.2009 को दर्ज किया गया। उभयपक्षकारान की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। प्रार्थीगण की ओर से श्री जयपालसिंह एडवोकेट एवं अप्रार्थीगण की ओर से श्री रामनिवास एडवोकेट ने वकालत नामा पेश किया।

अप्रार्थी रामेश्वर दयाल पुत्र भोलाराम जाति जाट ने जरिये वकील जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि आपने नोटिस में जबाब देहन्दा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 492, 485, 473, 474, 475 तथा

तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूँ

1593/472 दर्शायी है। जबकि जबाबदेहन्दा की खातेदारी भूमि तो सिर्फ खसरा नम्बर 1593/472 ही है। अन्य खसरा नम्बर जबाबदेहन्दा के नहीं हैं। आपने जबाबदेहन्दा की भूमि में डोटेड कटानी रास्ता बताया है जिसे डोल लगाकर बन्द करना बताया हैं जो गलत है। जबाबदेहन्दा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1593/472 में न तो कोई कटानी रास्ता है ना ही कोई डोटेड रास्ता है ना ही कोई पगडण्डी है जबाबदेहन्दा ने दिनांक 26.2.2011 को नक्शा ट्रेस की नकल ली है। उसमें भी कोई कटानशुदा रास्ता नहीं दर्शाया गया है,। जबाबदेहन्दा के खेत में से कोई रास्ता नहीं है परन्तु जबाबदेहन्दा ने अपनी स्वेच्छा से खेत के दक्षिण दिशा में पगडण्डी रास्ता छोड़ रखा है, जो चालु हालत में है।

वर्ष 2008 में ग्राम पंचायत सीथल, आदि ने एक साजिस रचकर पुलिस की बर्बरतापूर्वक कार्यवाही अमल में लेकर प्रार्थी के खेत के बीचों बीच रास्ता कायम करने की कुचेष्ठा करते हुये प्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया था। जिसकी शिकायत करने पर विकास अधिकारी उदयपुरवाटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 30.8.08 में इस प्रस्ताव व निर्णय को गलत ठहराया था। बाद में अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू नू दिनांक 26.10.2009 को ग्राम पंचायत के निर्णय को खारिज कर दिया था। श्रीमान का नोटिस मिलने के बाद प्रार्ाी ने इस संबंध में सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी में दिनांक 7.3.2011 को वाद पेश किया था। अगर श्रीमान जी यह कार्यवाही खेदड़ों की ढाणी की आबादी के रासते के लिए कर रहे है तो वह भी अवैध है क्योंकि खेदड़ों की ढाणी के लिए पहले से ही उदयपुरवाटी झुन्झुनू सड़क मार्ग से रास्ता चालु हालत में है जो खसरा नम्बर 309, 312, 313, 314, 315, 316, 317 से होता हुआ ढाणी के बादी भूमि खसरा नम्बर 435 में प्रवेश करता है। इस रास्ते में प्रधानमंत्री सड़क योजना में डामर सड़क बनाये जाने के आदेश भी जिला परिषद झुन्झुनू द्वारा दिनांक 8.10.2009 को हो चुके हैं। अतः निवेदन है कि जबाबदेहन्दा के खिलाफ कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 बावजूद तामिल सूचना के काफी अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया, जिससे साबित होता है कि अप्रार्थीगण प्रकरण के प्रति गम्भिर नहीं हैं।

अप्रार्थी रामेश्वरदयाल द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र अवगत कराया गया कि प्रकरण के संबंध में एक वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी में विचाराधीन चल रहे है। जिसमें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.2.2017 किया जाकर प्रार्थी रामेश्वरदयाल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। रामेश्वरदयाल ने उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, झुन्झुनू में एक अपील संख्या 16/2017 उनवानी रामेश्वर बनाम तहसीलदार उदयपुरवाटी प्रस्तुत की, जिसका निर्णय माननीय न्यायालय ने दिनांक 1.6.2017 को किया कि:– भ **फलस्वरूप अपीलार्थी/प्रार्थी रामेश्वर द्वारा प्रस्तुत विविध अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 22.2.2017 एतद्द्वारा स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.2.2017 अपास्त किया जाता है और प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को मुल वाद के निर्णय तक स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरा नम्बर 1593/472 रकबा 2.09 है0 भूमि में बिना विधिक प्रकिया अपनाये सार्वजनिक या पक्के रास्ता निर्माण न करें। अप्रार्थी संख्या 3 से 6 द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है अतः उनके विरूद्ध यह अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।**

माननीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 1.6.2017 की पालना में विधिक कार्यवाही के अन्तर्गत एवं न्यायहित के मध्यनजर प्रकरण में उक्त रास्ते के संबंध में पटवारी हल्का सीथल से मौका रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का के अनुसार ग्राम सीथल में मुख्य सड़क झुन्झुनू –उदयपुरवाटी से उक्त रास्ता खसरा नम्बर 492 के उतरी दिशा व खसरा नम्बर 485 के बीचों बीच में गोला बांधकर पत्थर डाल रखे हैं । इसके आगे रास्ता खसरा नम्बर 1593/472, 473, 474 के दक्षिणी सीमा में पगडण्डी के रूप में चालु है।। इसके आगे खसरा नम्बर 475 के पूर्वी दिशा के सहारे –सहारे चलकर इसी खसरा

तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूँ

नम्बर में उतरी सीमा में मिट्टी का गोला खदड़ों की ढाणी की जोहड़ी तक बंधा हुआ है। जिसका नजरी नक्शा पीछे संलग्न है।

नजरी नक्शा में दर्शाये गये रास्ते अंकित बिन्दु संख्या ए से बी तक मिट्टी का गोला व पत्थर डालकर रास्ता बना रखा है, जो चालु है। बिन्दु संख्या बी से सी तक पगडण्डी रास्ता चालु है। बिन्दु संख्या सी से डी तक मिट्टी का रास्ता व व डी से ई तक मिट्टी का गोला बंधा हुआ है। उक्त रास्ता कटानी रास्ता नहीं है। अर्थात राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

दिनांक 28.7.2017 को अप्रार्थी रामेश्वरदयाल ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र अ0 धारा 10 एवं 141 सीपीसी का प्रस्तुत किया कि प्रकरण से संबंधित माननीय सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी में एक वाद उनवानी रामेश्वर बनाम तहसीलदार आदि मु0 नं0 19/11 लम्बित है। इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार व तथ्य समान हैं तथा दोनों ही प्रकरणों में भूमि खसरा नम्बर 1593/472 , 474 में से रास्ता लेने का विवाद है। जिस प्रकरण में समान पक्षकार हो और समान विषयवस्तु हो वहां बाद वाले प्रकरण की कार्यवाही रोक दी जाती है। इस कारण इस प्रकरण में इस न्यायालय को आगे की सुनवाई करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर रोक दिया जावे।

प्रार्थीगण ने जरिये वकील जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अ0 धारा 10 व 141 सीपीसी गलत पेश किया गया है क्योंकि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश झुन्झुनू के यहां पेश की थी। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में तहसीलदार उदयपुरवाटी को रास्ते बाबत स्वतंत्र रखा है। इस तथ्य को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में छिपाया गया है। अतः प्रार्थी/अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 10 व 141 सीपीसी एवं मूल प्रार्थना 251 रा0 का0 अधिनियम की श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी/अप्रार्थी रामेश्वर के वकील ने प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 10 व 141 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रकरण से संबंधित माननीय सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी में एक वाद उनवानी रामेश्वर बनाम तहसीलदार आदि मु0 नं0 19/11 लम्बित है। इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार व तथ्य समान हैं तथा दोनों ही प्रकरणों में भूमि खसरा नम्बर 1593/472 , 474 में से रास्ता लेने का विवाद है। जिस प्रकरण में समान पक्षकार हो और समान विषयवस्तु हो वहां बाद वाले प्रकरण की कार्यवाही रोक दी जाती है। इस कारण इस प्रकरण में इस न्यायालय को आगे की सुनवाई करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर रोक दिया जावे।

अप्रार्थी/प्रार्थीगण के वकील ने बहस के दौरान प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरया तथा कथन किया कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अ0 धारा 10 व 141 सीपीसी गलत पेश किया गया है क्योंकि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश झुन्झुनू के यहां पेश की थी। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में तहसीलदार उदयपुरवाटी को रास्ते बाबत स्वतंत्र रखा है। इस तथ्य को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में छिपाया गया है। अतः प्रार्थी/अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

मूल प्रार्थना पत्र 251 रा0 का0 अधिनियम की बहस के दौरान प्रार्थीगण के वकील ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों का हवाला दिया तथा कथन किया कि उक्त रास्ता सार्वजनिक हितार्थ है तथा लोगों की कृषि उपज आवागमन के लिए काम में आ रहा है जिसको जनहित के मध्य नजर खुलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम किया जाना आवश्यक है।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि जबाब देहन्दा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 492, 485, 473, 474, 475 तथा 1593/472 दर्शायी है। जबकि जबाबदेहन्दा की खातेदारी भूमि तो सिर्फ खसरा नम्बर 1593/472 ही है। अन्य खसरा नम्बर जबाबदेहन्दा के नहीं हैं। आपने जबाबदेहन्दा की भूमि में डोटेड कटानी रास्ता बताया है जिसे डोल लगाकर बन्द करना बताया हैं जो गलत है। जबाबदेहन्दा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1593/472 में न तो कोई कटानी रास्ता है ना ही कोई डोटेड रास्ता है ना ही कोई पगडण्डी है जबाबदेहन्दा ने दिनांक 26.2.2011 को नक्शा ट्रेस की नकल ली है। उसमें भी कोई कटानशुदा रास्ता नहीं दर्शाया गया है,। जबाबदेहन्दा के खेत में से कोई रास्ता नहीं है परन्तु

(3)
तहसीलदार उदयपुर
झुन्झुनूं

जबाबदेहन्दा ने अपनी स्वेच्छा से खेत के दक्षिण दिशा में पगडण्डी रास्ता छोड़ रखा है, जो चालु हालत में है।

वर्ष 2008 में ग्राम पंचायत सीथल, आदि ने एक साजिस रचकर पुलिस की बर्बरतापूर्वक कार्यवाही अमल में लेकर प्रार्थी के खेत के बीचों बीच रास्ता कायम करने की कुचेष्ठा करते हुये प्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया था। जिसकी शिकायत करने पर विकास अधिकारी उदयपुरवाटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 30.8.08 में इस प्रस्ताव व निर्णय को गलत ठहराया था। बाद में अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू नू दिनांक 26.10.2009 को ग्राम पंचायत के निर्णय को खारिज कर दिया था। श्रीमान का नोटिस मिलने के बाद प्रार्थी ने इस संबंध में सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी में दिनांक 7.3.2011 को वाद पेश किया था। अगर श्रीमान जी यह कार्यवाही खेदड़ों की ढाणी की आबादी के रास्ते के लिए कर रहे है तो वह भी अवैध है क्योंकि खेदड़ों की ढाणी के लिए पहले से ही उदयपुरवाटी झुन्झुनू सड़क मार्ग से रास्ता चालु हालत में है जो खसरा नम्बर 309, 312, 313, 314, 315, 316, 317 से होता हुआ ढाणी के बाद भूमि खसरा नम्बर 435 में प्रवेश करता है। अतः निवेदन है कि जबाबदेहन्दा के खिलाफ कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 10 एवं 141 सीपीसी एवं मूल प्रार्थना पत्र 251 रा0 का0 अधिनियम पर मनन किया गया। माननीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू एवं माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश झुन्झुनू के आदेश की पालना में प्रकरण में पक्षकारान को वास्ते जबाबदेही हेतु नोटिस जारी किये जाकर विधिवत सुनवाई का पूर्णतया अवसर प्रदान किया गया। अप्रार्थी रामेश्वर द्वारा प्रकरण में जरिये वकील अपना जबाब प्रार्थना पत्र धारा 251 भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में न्यायहित के मध्यनजर पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गई हैं **जिसके पृष्ठ भाग पर अंकित नजरी नक्शा के अनुसार कथित रास्ता राज्य मार्ग नं. 37 उदयपुरवाटी से झुन्झुनू से ग्राम सीथल में मुख्य सड़क झुन्झुनू –उदयपुरवाटी से उक्त रास्ता खसरा नम्बर 492 के उतरी दिशा व खसरा नम्बर 485 के बीचों बीच में गोला बांधकर पत्थर डाल रखे हैं । इसके आगे रास्ता खसरा नम्बर 1593/472, 473, 474 के दक्षिणी सीमा में पगडण्डी के रूप में चालु है। इसके आगे खसरा नम्बर 475 के पूर्वी दिशा के सहारे –सहारे चलकर इसी खसरा नम्बर में उतरी सीमा में मिट्टी का गोला खदड़ों की ढाणी की जोहड़ी तक बंधा हुआ है।**

पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार उक्त रास्ता मौके पर मौजूद है तथा प्रचलित रास्ता है जिसको मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा बाधा उत्पन्न कर बंद कर आवागमन बाधित कर रखा है। उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग का रास्ता है जो कृषि उपज आवागमन एवं खेदड़ों की ढाणी के लोगों एवं अन्य लोगों के सार्वजनिक उपयोग के काम में आता रहा है। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते में बाधा उत्पन्न कर देने के कारण लोगों को काफी परेशानी उत्पन्न हो गई है। अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते को बाधित करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उक्त विवेचन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 रा0 का0 अधिनियम साबित होने तथा सार्वजनिक हितार्थ के मध्य नजर स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है। इस बाबत स्वयं अप्रार्थी रामेश्वरदयाल ने भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार रास्ता खुलवाये जाने पर अपनी मौखिक सहमति दी है।

जहां तक प्रार्थी/रामेश्वरदयाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 10 नियम 141 सीपीसी का सवाल है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 रा0 का0 अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया गया है। उक्त धारा 10 पश्चातवर्ती वादपत्र पर लागु होती है न कि प्रार्थना पत्र पर। मूल प्रार्थना पत्र धारा 251 सन् 2008 में प्रस्तुत किया गया है जबकि माननीय सिविल न्यायालय में वादपत्र सन् 2011 में प्रस्तुत किया गया है। यह प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय में दर्ज प्रकरण से पूर्व का है। धारा 10 के

तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूँ

तहत पश्चातवर्ती वादपत्र को ही रोका जा सकता है। जबकि यह प्रकरण वाद नहीं है तथा प्रार्थना पत्र है एवं पूर्ववर्ति कार्यवाही है। पश्चातवर्ती नहीं है। इसलिए इस प्रकरण पर उक्त कानूनी प्रावधान लागू नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अ0 धारा 10 नियम 141 सीपीसी विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का मूल प्रार्थना अ0 धारा 251 रा0 का0 अधिनियम जन हितार्थ एवं कृषि उपज आवागामन के मध्य नजर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा राज्य मार्ग नं. 37 उदयपुरवाटी से झुन्झुनू से ग्राम सीथल में मुख्य सड़क झुन्झुनू –उदयपुरवाटी से रास्ता खसरा नम्बर 492 के उतरी दिशा व खसरा नम्बर 485 के बीचों बीच इसके आगे रास्ता खसरा नम्बर 1593/472, 473, 474 के दक्षिणी सीमा से होता हुआ इसके आगे खसरा नम्बर 475 के पूर्वी दिशा के सहारे –सहारे चलकर इसी खसरा नम्बर में उतरी सीमा से होता हुआ खदड़ों की ढाणी की जोहड़ी तक वाहनों के सुचारू आवागमन हेतु खुलवाया जाकर रास्ता सार्वजनिक हिथार्थ चालु करवाया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट इस आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा। प्रार्थी/अप्रार्थी रामेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 10 एवं 141 सीपीसी सारहीन होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार नियमानुसार रास्ता खुलवाने तथा आवागमन बहाल करने की कार्यवाही करें।

(31)
तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूँ

निर्णय आज दिनांक 15-11-17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(31)
तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूँ